

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

**शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग**

क्रमांक: प.10(2)शिक्षा-3 / 2011 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक २५ सितम्बर, 2011

—: आदेश :—

राज्य सरकार द्वारा स्व0 श्री फूल मौहम्मद, पुलिस निरीक्षक, स्व0 श्री प्रकाश सिंह कानि0 2045, स्व0 श्री सोहनलाल रेगर कानि0 1567, स्व0 श्री विजेन्द्र सिंह कोनि0 ड्राईवर 253 जिला अजमेर एवं स्व0 श्री निहाल सिंह कानि0 185 के आश्रितों को परिलाभ दिये जाने के संबंध में सक्षम स्तर से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :—

“राजवीय विद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु”

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रुपये 1,800/- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति

कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चों को रुपये 3,600/- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि�0 (स्पिनफैड), जयपुर की गगापुर इकाई के सुरक्षाकर्मी स्व0 श्री दुर्गलाल कीर की पुत्री सुश्री पूजा कीर को मुफ्त शिक्षा दिलवाने का भी निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णयों की पालना राज्य के समस्त राजकीय सहशिक्षा/महिला महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित की जावे।

आज्ञा से,

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन।
4. शासन उप सचिव, गृह (पुलिस, ग्रुप-2) विभाग।
5. निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय। ड्राईवर 253, कोनि0 1567, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

P.T.O

क्रमांक 23 ( ) लेखा / निकाशी / म. छाज / 2011-12 / ११४-११७ / दिनांक - २६/१०/११

पुरिलेपि निम्न को व्युत्पन्नार्थी एवं आवश्यक कार्यक्रम हैं।

1. प्राचार, समस्त राजकीय अदाविधालय राजस्थान को पालनार्थ।
2. उप शासन साचिव, उच्च वकील (भूम-३) विभाग अपुर को उनके अधिकार अमंत्र प. 10(2) विद्या-३/२०११ पाठ ॥ अपुर दिनांक २५/९/२०११ के तह में रखनार्थ।
3. निजी साचिव, निदेशक अदाविधालय निवृत्ति विधि।
4. उद्योगसिती को विभाग की केन्द्रस्थित पर अपलोड करने हेतु।

लग्न

संस्कार निकाशी (व्यापारी)  
पुरिलेपि विभाग राजस्थान